



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19072024-255566
CG-DL-E-19072024-255566

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 382]
No. 382]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 19, 2024/आषाढ 28, 1946
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 19, 2024/ASHADHA 28, 1946

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2024

सा.का.नि. 419(अ).—केंद्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 11क और धारा 12कक के साथ पठित धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2024 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 9 में,-
 - उप नियम (1ग) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(1ग) उपनियम (1) के खंड (क) और खंड (ख) के अधीन किसी ग्राहक की पहचान का सत्यापन करने के प्रयोजन के लिए या उपनियम (12) के खंड (iii) के अनुसार सतत् सम्यक् तत्परता के लिए रिपोर्टकर्ता अस्तित्व, ग्राहक से केवाईसी पहचानकर्ता की वांछा करेगा या केवाईसी पहचानकर्ता, यदि उपलब्ध हो, को केन्द्रीय

केवाईसी अभिलेख रजिस्ट्री से पुनः प्राप्त करेगा और ऐसे केवाईसी पहचानकर्ता का उपयोग करते हुए आनलाईन केवाईसी अभिलेखों को अभिप्राप्त करने के लिए अग्रसर होगा तथा ग्राहक से उन्ही केवाईसी अभिलेखों या सूचना या किन्ही अतिरिक्त पहचान दस्तावेजों या ब्यौरों को तब तक प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं करेगा जब तक –

- (क) केन्द्रीय केवाईसी अभिलेख रजिस्ट्री में ग्राहक के यथाविद्यमान अभिलेखों में सूचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है ; या
- (ख) पुनः प्राप्त किए गए केवाईसी अभिलेख या सूचना पूर्ण नहीं है या संबंधित विनियामक द्वारा विहित लागू केवाईसी सन्नियमों के अनुसार नहीं है; या
- (ग) डाउनलोड किए गए दस्तावेजों की विधिमान्यता कालावधि व्यपगत हो गई है ; या
- (घ) रिपोर्टकर्ता अस्तित्व विनियामक द्वारा उपनियम (14) के अधीन जारी दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राहक की पहचान या पता (जिसके अंतर्गत वर्तमान पता है) का सत्यापन करने के लिए या सम्यक् तत्परता में वृद्धि करने के लिए या ग्राहक का समुचित जोखिम प्रोफाइल तैयार करने के लिए ऐसा करना आवश्यक समझता है।”;

(ii) उपनियम (1घ) में “यथासंभव शीघ्र” शब्दों के स्थान पर “सात दिन के भीतर या ऐसी कालावधि के भीतर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए” शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उपनियम (1छ) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(1ज) यदि केन्द्रीय केवाईसी अभिलेख रजिस्ट्री द्वारा किसी विद्यमान ग्राहक के केवाईसी अभिलेख में किसी अपडेट की सूचना उपनियम (1घ) के अधीन रिपोर्टकर्ता अस्तित्व को दी जाती है, तो रिपोर्टकर्ता अस्तित्व केन्द्रीय केवाईसी अभिलेख रजिस्ट्री से अपडेट किए गए केवाईसी अभिलेखों को पुनः प्राप्त करेगा और विनियामक द्वारा नियम 9क के उपनियम (2) के खंड (छ) तथा उपनियम (14) के अधीन जारी दिशानिर्देशों के अनुसार रिपोर्टकर्ता अस्तित्व द्वारा रखे गए केवाईसी अभिलेख को अपडेट करेगा।”।

3. मूल नियमों के नियम 9क के उपनियम (2) के खंड (छ) में “फाइल करने” शब्दों के स्थान पर “फाइल करने, पुनः प्राप्त करने और उपयोग करने” शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. पी-12011/12/2022-ईएस सैल-डीओआर]

रिमझिम पांडे, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. का.आ. 444(अ) तारीख 1 जुलाई, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं.का.आ.745(अ) तारीख 17 अक्टूबर, 2023 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2024

G.S.R. 419(E).— In exercise of the powers conferred by section 73 read with sections 11A and 12AA of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, namely: —

1. (1) These rules may be called the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Amendment Rules, 2024.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 9,—
 - (i) for sub-rule (1C), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(1C) For the purpose of verification of identity of a client, underclause (a) and (b) of sub rule (1) or on-going due diligence as per clause (iii) of sub-rule (12), the reporting entity shall seek the KYC Identifier from the client or retrieve the KYC Identifier, if available, from the Central KYC Records Registry and proceed to obtain KYC records online by using such KYC Identifier and shall not require a client to submit the same KYC records or information or any other additional identification documents or details, unless –

 - (a) there is a change in the information of the client as existing in the records of Central KYC Records Registry; or
 - (b) the KYC record or information retrieved is incomplete or is not as per the current applicable KYC norms prescribed by the respective regulator; or
 - (c) the validity period of the downloaded documents has lapsed; or
 - (d) the reporting entity considers it necessary in order to verify the identity or address (including current address) of the client as per the guidelines issued by the regulator under sub-rule (14), or to perform enhanced due diligence or to build an appropriate risk profile of the client.”;
 - (ii) insub-rule (1D), for the words “as soon as possible”, the words “within sevendays or within such period as may be notified by the Central Government” shall be substituted;
 - (iii) after sub-rule (1G), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

“(1H) If an update in the KYC record of an existing client is informed by the Central KYC Records Registry to a reporting entity under sub-rule (1D), the reporting entity shall retrieve the updated KYC records from the Central KYC Records Registry and update the KYC record maintained by the reporting entity as per the guidelines issued by the regulator under sub-rule (14) and under clause (g) of sub-rule (2) of rule 9A.”.
3. In the principle rules, in rule 9A, in sub-rule (2), in clause (g), for the word “filing”, the words “filing, retrieval, and utilisation of” shall be substituted.

[F. No. P-12011/12/2022-ES Cell-DOR]

RIMJHIM PANDAY, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 444 (E), dated the 1st July, 2005 and were last amended vide notification number G.S.R. 745(E), dated the 17th October, 2023.